कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधानाचार्य/स्थानान्तरण/वो–2/2021 दिनांक 29.09.2021 द्वारा श्रीमती सुमित्रा झाझड़िया, प्रधानाचार्य, GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL DHEELSAR (211598) JHUNJHUNUN का स्थानान्तरण GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BALERA (215471), BIDASAR CHURU किया गया था जिसके विरूद्ध श्रीमती सुमित्रा झाझड़िया द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 5260/2021 सुमित्रा झाझड़िया बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई ।

अपील संख्या 5260/2021 में माननीय अधिकरण के निर्णय दिनांक 08.11.2021 के परिपेक्ष्य में अपीलार्थी श्रीमती सुमित्रा झाझड़िया नें अपने अभ्यावेदन में स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों व पति व पुत्र भी राजकीय सेवा में होने के कारणों पर ध्यान आकृष्ट कराते हुए अपना पदस्थापन राउमावि छावसरी/खुडानिया/धमोरा/कांट, जिला झुन्झुनूं में प्रधानाचार्य के पद पर किये जाने की मांग की गई है।

अपीलार्थी के अभ्यावेदन का माननीय अधिकरण के निर्णय एवं राज्य सरकार एवं विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया एवं उनकी मांग पर विचार किया गया। राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण के सम्बन्ध में जारी दिशा निर्देश दिनांक 24.09.2019 जो पूर्व के समस्त दिशा निर्देशों के अधिक्रमण (SUPERSESSION) में जारी किये गए हैं, में गंभीर एवं असाध्य रोग (गुर्दा प्रत्यारोपण/कैंसर/हृदय शल्य चिकित्सा) से पीड़ित कार्मिकों को ही स्थानान्तरण में प्राथमिकता प्रदान किये जाने के निर्देश प्राप्त हैं। अपीलार्थी को झुन्झुनूं जिले के समीपवर्ती चूरू जिले में ही स्थानान्तरित किया गया है, किसी दूरस्थ स्थान पर नहीं। अपीलार्थी राज्य सेवा की अधिकारी हैं और राज्य हित/विद्यार्थी हित/विभागीय प्राथमिकता एवं प्रशासनिक आवश्यकता में उन्हें राज्य में कहीं पर भी पदस्थापित किया जा सकता है। किसी भी लोकसेवक को एक ही स्थान पर बने रहने का कोई निहित अधिकार (VESTED RIGHT) नहीं है। सरकार अथवा विभागाध्यक्ष द्वारा आवश्यकतानुसार उन्हें राज्य में कहीं पर भी स्थानान्तरित/पदस्थापित किया जा सकता है। उक्तानुसार अपीलार्थी का अभ्यावेदन एतद द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। श्रीमती सुमित्रा झाझडिया विभागीय स्थानान्तरण आदेश दिनांक 29.09.2021 की अनुपालना में GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BALERA (215471), BIDASAR CHURU में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत रहेंगी।

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

(काना राम)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/सुमित्रा/अपील/5260/21/331 **दिनांकः** 31/01/22

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, चूरू संभाग, चूरू।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, चूरू/झुन्झुनूं।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक चूरू/झुन्झुनूं।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. श्रीमती सुमित्रा झाझड़िया, प्रधानाचार्य राउमावि बालेरा, बीदासर जिला चूरू।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)